संख्या-30/2025/106/60-1-2025

प्रेषक,

अवनीश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक:: 20 मई, 2025**

विषय:- लघु निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-41/निदे0म0क0/प्रोबे0/लघु निर्माण/2025-26, दिनांक 04.04.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विभाग के अन्तर्गत जनपदों में संचालित राजकीय बाल देखरेख संस्थाओं में लघु निर्माण कार्य कराये जाने हेतु रू0 623.01 लाख (रूपये छः करोड़ तेईस लाख एक हजार मात्र) की कार्य योजना उपलब्ध कराते हुये वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया महिला कल्याण विभाग के अन्तर्गत जनपदों में संचालित राजकीय बाल देखरेख संस्थाओं में लघु निर्माण कार्य कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-103-महिला कल्याण-06-विभागीय संस्थाओं/गृहों का निर्माण-25-लघु निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि रू0 1500.00 लाख (रूपये पन्द्रह करोड़ मात्र) के सापेक्ष निम्न कार्ययोजना हेतु धनराशि **रू0 3,09,20,000 (रुपये तीन करोड़ नौ लाख बीस हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0 स0	वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रस्तावित लघु निर्माण कार्य	परियोजना की लागत	वित्त विभाग की संस्तुति
1	जनपद मेरठ में राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) के भवन में संस्थाधीक्षक आवास (टाइप-।।) का निर्माण कराया जाना है।	18.42	18.42
2	जनपद मऊ में किशोर न्याय बोर्ड के भवन की मरम्मत (टाइल्स पेन्टिंग, चुनाई एवं अन्य कार्य) कार्य कराया जाना है।	4.27	4.27
3	जनपद प्रयागराज में राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) के	54.77	54.77

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	भवन में ओपेन जिम लगाये जाने तथा भवन की छत पर लोहे की छड़, टीन सेड जाली और अन्य सामग्रियों से ढक कर खुली जगह का उपयोग बच्चों के खेलने एवं अन्य गतिविधियों के लिए निर्माण कार्य कराया जाना है।		
4	जनपद प्रयागराज में राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) एवं राजकीय बाल गृहों के भवनों की दीवालों की कलर वाशिंग, खिड़की, दरवाजे, ग्रिल की पेंटिंग, विद्युतीकरण का कार्य कराया जाना है।	38.03	38.03
5	जनपद गाजीपुर में राजकीय प्लेस ऑफ सेफ्टी/राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) के परिसर में किशोर न्याय बोर्ड के दो नये कक्ष के निर्माण कार्य कराया जाना है।	27.22	27.22
6	जनपद गाजीपुर में राजकीय प्लेस ऑफ सेफ्टी/राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) के परिसर में कार्यालय कक्ष एवं बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कार्य कराया जाना है।	65.43	65.43
7	जनपद इटावा में राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) यूनिट-II के परिसर में संवासियों की सुरक्षा हेतु भवन के अन्दर जंगले, खिड़कियों, पार्टिशन, लोहे की ग्रिल का कार्य, टाइल्य मरम्मत एवं शौचालय का निर्माण कार्य कराया जाना है।	12.23	12.23
8	जनपद इटावा में राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) यूनिट II एवं राजकीय विशेष गृह के भवन की छत पर खेल कूद एवं संवासियों की सुरक्षा हेतु लोहे की ग्रिल का कार्य कराया जाना है।	73.20	73.20
9	जनपद हरदोई में राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (किशोर) के भवन में रसोई घर, पुलिस गार्ड रूम, मेनगेट के अन्दर छोटी दीवार, होमगार्ड हेतु रूम, प्रकाश हेतु सोलर पैनल 10 कि०वा० का निर्माण कार्य कराया जाना है।	15.63	15.63
10	जनपद लखनऊ में पी०पी०पी० मॉडल पर संचालित राजकीय विशेषीकृत गृह, मोहान रोड, लखनऊ में आन्तरिक जल निकासी व्यवस्था एस०टी०पी० और स्टार्म वॉटर निकासी व्यवस्था संबंधी कार्य कराया जाना है।	313.81	0.00
	योग	**623.01**	**309.20**

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध</u>

(1) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनॉक 27.03.2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 द्वारा आय-व्ययक में प्रावधानित एकमुश्त व्यवस्था के संबंध में निर्गत शासनादेश दिनांक 21 नवम्बर, 2017 के अन्तर्गत उल्लिखित शर्तों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) निदेशक, महिला कल्याण यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की

http://shasanadesh.up.gov.in

गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, महिला कल्याण की होगी।

(4) निदेशक, महिला कल्याण यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(5) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, महिला कल्याण द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(6) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जायेगा।

(7) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

(8) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(9) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी किया जायेगा।

(11) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(12) प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में निदेशक, महिला कल्याण द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा।

(13) प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना से सम्बन्धित राज्य सरकार की गाइडलाइन्स का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) योजनान्र्गत बाटआउटस आइटम्स की श्रेणी से आच्छादित कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था को कोई भी सेन्टेज चार्ज देय नहीं होगा।

(15) प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु निर्विवादित भूमि की उपलब्धता एवं अन्य विभागों से क्लीरियन्स प्राप्त किये जाने का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(16) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने हेतु पैरा-94 के अन्तर्गत सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,09,20,000 (रुपये तीन करोड़ नौ लाख बीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-049 लेखा शीर्षक-4235021030600-विभागीय संस्थाओं/गृहों का निर्माण मानक मद-25-लघु निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-4-12-X-2025-26, दिनांक 19.05.2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव

संख्या-30/2025/106(1)/60-1-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 सिविल लाइन्स, प्रयागराज।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
7- राज्य योजना आयोग अनुभाग-2
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।